कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र.– 07751 220658 **Email – pmsgaurelapendramarwahi@gmail.com**

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./2025–26/ 457 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 21/05/2025

प्रति,

सहायक संचालक
जनसंपर्क विभाग
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) वर्ष 2025–26 की ऑनलाईन पंजीयन/स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने बावत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त किये जाने की सूचना का प्रकाशन किया जाना है।

कृपया राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– विज्ञप्ति।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./2025–26/ 458 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. प्राचार्य/संस्था प्रमुख, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, आई.टी.आई., प्रशिक्षण संस्था की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र.– 07751 220658 **Email – pmsgaurelapendramarwahi@gmail.com**

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./2025–26/ 459 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 21/05/2025

– :: सूचना प्रकाशन ::–

वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई. एवं विभिन्न प्रशिक्षण संस्था आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2025–26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025–26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है :–

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 सितंबर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025–26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1. **छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :–**
   अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय–सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय–सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, **छ.ग.** का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
2. PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने **सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते** की प्रविष्टि आनलाईन करते समय सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
4. वर्ष 2025–26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का Biometric Authentication किया जाना अनिवार्य है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)